न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वां, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 20/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान वर्ष निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 27.09.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा के विरूद्ध निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है। उक्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	42/03	11.03.03	13 RPGO	30/03	31.03.03	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 03.03.2004
2.	176/07	13.09.10	13 RPGO	119/07	15.09.07	सजा 250/– अर्थदंड दिनांक 5.10.2007
3.	87/15	07.05.05	13 RPGO	40/15	13.05.05	सजा 200/– अर्थदंड दिनांक 22.05.2015
4.	115/15	06.06.15	13 RPGO	54/15	16.06.05	सजा 50/– अर्थदंड दिनांक 07.09.2015

उक्त शख्स चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा का रहने वाला है। जो संगठित रूप से अवैध जुआं सट्टा का धंधा करता है। जुआ सट्टा एक तरह से अन्य अपराधों की जननी है। गैर सायल के उक्त कृत्यों से न केवल गैर सायल के परिवारजनो बल्कि गैर सायल के सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति भी जुआ सट्टा जैसी गलत आदत के शिकार हो रहे है। जुआ सट्टा जैसे अपराध में हार जाने की वजह से आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति अन्य आपराधिक गतिविधियां जैसे चोरी, नकबजनी, लूट की ओर अग्रसर हो रहे है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत यह इस्तगासा पेश कर जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को इस तरह के अपराधो से हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना कोलवा में चार आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल सभी मुकदमों मे सजायाब हो चुका है। गैर सायल चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा जुआं सट्टा खेलने का आदि है। गैर सायल की जुअें सट्टे की लत के कारण समाज में अन्य व्यक्तियों पर इसका गलत असर पड रहा है। गैर सायल के सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति भी गैर सायल की आपराधिक प्रवृत्ति एवं गलत आदतों का शिकार हो रहे है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल के साथ आमजन गलत आदतों में लिप्त होकर अन्य आपराधिक गतिविधियां जैसे चोरी, नकबजनी, लूट की और अग्रसर हो रहे है। जिसके कारण लोक शांति एवं कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा है। जिस पर नियन्त्रण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं समाज के नवयुवक वर्ग को जुए सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो चार मुकदमे दर्ज किये गये है। वह काफी पुराने मुकदमे है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। गैर सायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि थाना अधिकारी कोलवा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दर्ज चार प्रकरणों में सजा हुई है। पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंए सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल चम्मन खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी अरनियां धनावड थाना कोलवा जिला दौसा को दिनांक 28.09.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बांदीकुई, बसवा के रास्ते होते हुये थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वां)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वां)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 03 / 2021, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 13.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्ननानुसार हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	524 / 19	21.09.2019	13 RPGO	286 / 19	24.09.2019	सजा 200 / – अर्थदंड दिनांक 25.09.2019
2.	705 / 19	18.12.2019	13 RPGO	382 / 19	21.12.2019	सजा 200 / – अर्थदंड दिनांक 23.12.2019
3.	261 / 20	17.05.2020	13 RPGO	89 / 20	30.05.2020	सजा 200 / – अर्थदंड दिनांक 08.07.2020

उक्त शख्स धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा का रहने वाला है। जो कि जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को गैर सायल द्वारा किये जा रहे अपराधो के कारण हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा में तीन आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सभी मुकदमों मे सजायाब किया जाकर अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है। गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा आदतन जुंआ खेलने का आदि है तथा रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी

हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। आम नागरिक उसके विरूद्ध न तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को दे पा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं समाज के नवयुवक वर्ग को जुऐ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो तीन मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 **RPGO** के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि थाना अधिकारी महवा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैर सायल अपराधी के विरूद्ध तीन मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंऐ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 15.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बस्सी जिला जयपुर के रास्ते होते हुये थाना कानोता जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कानोता जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक रविवार को थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं थानाधिकारी कानोता को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 17.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध थाना बांदीकुई में निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्ननानुसार हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	598/20	05.12.2020	13 RPGO	451/2020	08.12.2020	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 15.12.2020
2.	390/2021	26.06.2021	1 3 RPGO	289/2021	29.06.2021	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 13.07.2021

उक्त शख्स देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को जुआ के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना बांदीकुई में दो आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सजायाब किया जाकर अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है। गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा ताशपत्ती व सट्टे की खाईवाली में लिप्त रहता है। ताशपत्ती से जुआं खेलकर वह अपराधियों के सम्पर्क में रहने लग गया। उक्त शख्स के कारण समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया क्योंकि इसके पास आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो का आना–जाना शुरू हो गया। आम जन इस शख्स के भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करता है व ना ही गवाही देता है। थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को पिछले 10 वर्षो में 9 अपराधों में सजा हुई है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के

लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो दो मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 **RPGO** के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दो मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। गैर सायल द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया गया है कि उसके विरूद्ध दो प्रकरण जुंआ सट्टा खेलने के कारण अन्तर्गत धारा 13 **RPGO** दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल को पूर्व में अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंओ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा को दिनांक 19.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बांदीकुई, बसवा के रास्ते होते हुये थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक गुरूवार को थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
प्रकरण संख्या : 07 / 2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध थाना महवा में निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्ननानुसार हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	175 / 23	12.03.2023	13 RPGO	63 / 2023	22.03.2023	सजा 100 / – अर्थदंड दिनांक 06.04.2023
2.	326 / 23	23.05.2023	13 RPGO	143 / 2023	30.05.2023	सजा 100 / – अर्थदंड दिनांक 08.06.2023

उक्त शख्स सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को जुआं के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा में दो आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सजायाब किया जाकर अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है। गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा आदतन जुआं खेलने का आदि है रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ / सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान अदालत में पेश करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है तथा बिना किसी भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से कर रहा है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध आम नागरिक ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण उसकी शिकायत पुलिस को कर

पा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो दो मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 **RPGO** के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक सीधा सादा व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दो मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। गैर सायल द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया गया है कि उसके विरूद्ध दो प्रकरण जुंआ सट्टा खेलने के कारण अन्तर्गत धारा 13 **RPGO** दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल को पूर्व में अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंए सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 19.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक गुरूवार को थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 09/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल शौकत अली पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 जवाहर कॉलोनी महवा थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 17.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल शौकत अली पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 जवाहर कॉलोनी महवा थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध थाना महवा में निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्ननानुसार हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	263/23	25.04.2023	13 RPGO	118/2023	08.05.2023	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 31.05.2023
2.	259/23	28.05.2023	13 RPGO	175/2023	09.06.2023	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 23.06.2023

उक्त शख्स शौकत अली पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 जवाहर कॉलोनी महवा थाना महवा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को जुआं के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा में दो आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सजायाब किया जाकर अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है। गैर सायल शौकत अली पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 जवाहर कॉलोनी महवा थाना महवा जिला दौसा महवा थाना महवा जिला दौसा आदतन जुआं खेलने का आदि है रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान अदालत में पेश करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है तथा बिना किसी भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से कर रहा है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध आम नागरिक ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण उसकी शिकायत पुलिस को दे पा रहा है।

वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो दो मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 **RPGO** के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक सीधा सादा व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दो मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। गैर सायल द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया गया है कि उसके विरूद्ध दो प्रकरण जुंआ सट्टा खेलने के कारण अन्तर्गत धारा 13 **RPGO** दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल को पूर्व में अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंऐ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल शौकत अली पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 जवाहर कॉलोनी महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 19.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक गुरूवार को थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा